

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा

दिनांक 29 मई, 1997

क्रमांक सी.सी.पी./जे.सी.ए.-3/97/466.—पंजाब अधिसूचित सड़कें एवं नियन्त्रित क्षेत्र अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप-धारा (i) (ए) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल, जीन्द शहर की नगरपालिका सीमा के ईर्द-गिर्द नीचे दी गई अनुसूची अनुसार जो साथ लगाये नक्शे में दर्शाई गई है, को उक्त खण्ड के प्रयोग हेतु अतिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्र अधिसूचित करते हैं :—

अनुसूची

जीन्द शहर की नगरपालिका सीमाओं के ईर्द-गिर्द अतिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची ड्राईंग नं० डी०टी०पी० (जे) 936/95, दिनांक 19 अक्टूबर, 1995 के अनुसार पड़ी जावे :—

उत्तर : बिन्दु "ए" से शुरू होता है जोकि वर्तमान नियन्त्रित क्षेत्र सीमा और गांव किशनपुरा, गांव गोबिन्दपुरा और जीन्द की सीमाओं का त्रिकोना बिन्दु है। तब वर्तमान नियन्त्रित क्षेत्र पूर्व की ओर दक्षिण सीमा के साथ बिन्दु "बी" पर मिलता है। जहाँ पर गांव अशरफगढ़ की सीमा मिलती है।

पूर्व : तब बिन्दु "बी" से दक्षिण की ओर प्रारम्भ होते हुए गांव किशनपुरा और बिशनपुरा की पूर्व सीमा से होते हुये बिन्दु "सी" पर मिलता है जोकि गांव बिशनपुरा का मुख्वा नं० 40 का दक्षिण पूर्वी-कोना है।

दक्षिण : बिन्दु "सी" से पश्चिम की ओर प्रारम्भ होते हुये गांव बिशनपुरा की दक्षिण सीमा से होते हुए बिन्दु "डी" पर मिलता है जो गांव बिशनपुरा के मुख्वा नं० 48 का दक्षिण-पूर्वी कोना है।

पश्चिम : बिन्दु "डी" से उत्तर की ओर गांव बिशनपुरा एवं गांव किशनपुरा की पश्चिम सीमाओं से होते हुए बिन्दु "ए" पर मिलता है, जो शुरुआती बिन्दु है।

भास्कर चटर्जी,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT, HARYANA

The 29th May, 1997

No. CCP/JCA-3/197/466.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of a section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana is pleased to declare the area around the Municipal boundaries of Jind Town, District Jind as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be Additional Controlled Area for the purposes of the said Act namely :—

SCHEDULE

Schedule of boundaries of Additional Controlled Area around the municipal boundaries of Jind town of District Jind to be read with Drawing No. D.T.P. (J) 936/95, dated 19th October, 1995.

North : Starting from point 'A' the trijunction point of existing Controlled Area boundary and village boundaries of village Kishanpura, village Gobindpura and Jind, then towards the east along the southern boundary of existing controlled area upto point 'B' where it meets the village boundary of village Ashrafgarh.

East : Thence towards the south along eastern boundary of village Kishanpura and Bishanpura upto point 'C' which is South-East corner of rectangle No. 40 of village Bishanpura.